भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3245
17 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पीएमजेएवाई के अंतर्गत निजी अस्पतालों द्वारा धोखाधड़ी

3245. श्री पी.पी. चौधरी:
श्री सी.पी. जोशी:
श्री संगम लाल गुप्ता
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री राजबहादुर सिंह:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों द्वारा धोखाधड़ी की शिकायतें सरकार के संज्ञान में आई हैं;
(ख) यदि हां, तो अब तक की गई धोखाधड़ी का ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा इसकी जांच और रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या योजना के तहत बीमा दावों को स्वीकार करने और अस्वीकार करने वाले निजी अस्पतालों के लिए दिशानिर्देश बनाये गए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) संदिग्ध/गैर-वास्तविक मेडिकल उपचार दावे, उपचार पैकेजों/प्रक्रियाओं आदि का छद्म रूप तथा उप-कोडिंग जैसी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को बिल्कुल बर्दाश्त न किए जाने का दृष्टिकोण अपनाते हुए संचालित की जाती है। एबी-पीएमजेएवाई का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने धोखाधड़ी रोधी दिशानिर्देशों का एक विस्तृत सेट जारी किया है।राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धोखाधड़ी रोधी परामर्शिकाएं नियमित रूप से जारी की जाती हैं। धोखाधड़ी-रोधी कार्यढांचे की समग्र मॉनीटरिंग करने और कार्यान्वयन के लिए एनएचए राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी यूनिट (एसएफयू) सृजित किया गया है जिसे राज्य स्तर पर राज्य धोखाधड़ी रोधी यूनिटों (एसएफयू) द्वारा सहायता दी जाती है। सभी दावों के लिए अनुमोदन तथा

भुगतान से पूर्व रोगी की बिस्तर पर फोटो के साथ अनिवार्य सहायक दस्तावेजों की जरूरत होती है। दाखिला तथा छुट्टी मिलने के समय लाभार्थी के आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की अपेक्षा सभी निजी अस्पतालों में आरंभ की गई है। धोखाधड़ी का सक्रिय रूप से पता लगाने के लिए विस्तृत धोखाधड़ी विश्लेषण समाधान के रूप में कृत्रिम आसूचना और मशीन अधिगम प्रयोग किया जाता है, एल्गोरिथम तैयार किए जाते हैं जिनका प्रयोग संदिग्ध लेनदेनों तथा संस्थाओं की पहचान करने और अस्पतालों द्वारा जोखिम दर्शाने और निरंतर दावों का पता लगाने के लिए बड़ी मात्रा के डाटा के लिए किया जा सकता है।

14 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, एनएचए तथा एसएचए द्वारा किए गए धोखाधड़ी रोधी उपायों के परिणामस्वरूप 208 निजी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं को सूची से हटा दिया गया है। गलती करने वाले अस्पतालों पर 16.80 करोड़ रु. की राशि का जुर्माना लगाया गया है।

पैनलबद्ध करने की निबंधन और शर्तों के अनुसार, अस्पताल इस योजना के वास्तविक लाभार्थियों के उपचार के लिए मना नहीं कर सकते। निजी अस्पतालों द्वारा मेडिकल उपचार दावे बीमा कंपनियों/न्यासों के पास, जैसा भी मामला हो, दायर किए जाते हैं। बीमा कंपनी/न्यास तत्संबंधी वास्तविकता की जांच करने के बाद इन दावों का निपटान करते हैं।

****